प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 43–सिवालखास, 44–सरधना, 45–हस्तिनापुर (अ0जा0), 46–किठौर, 47–मेरठ कैन्ट, 48–मेरठ एवं 49–मेरठ दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का सम्भाजन (Rationalisation) ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की अधीकतम सीमा 1400 तक रखने के आधार पर निम्नानुसार समय सारिणी के अनुसार कराया जाना हैं:–

1	मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन	दिनांक 05–09–2017 से 30–09–2017
2	मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार कराना	दिनांक 04–10–2017
3	आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन	दिनांक 09–10–2017
4	वर्तमान मतदेय स्थलों के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना	दिनांक 09–10–2017
5	वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जाना	दिनांक 23–10–2017
6	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थलों की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना	दिनांक 30–10–2017
7	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना	दिनांक 06–11–2017

अतः जनसामान्य से अपील है कि कृपया यदि किन्हीं मतदेय स्थलों के भवन को किसी कारणवश अन्य भवन में परिवर्तित कराना आदि चाहते हैं तो उसके सम्बन्ध में अपने से सम्बन्धित तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में स्पष्ट कारण सहित लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त करा सकते हैं।

(सत्य प्रकाश पटेल)
अपर जिलाधिकारी–प्रशासन/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ।

संख्याः– 1670 /29–1115 दिनांकः– 11 सितम्बर,2017

प्रतिलिपि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 संसद सदस्य/मा0 सदस्य, विधानसभा/मा0 सदस्य, विधान परिषद, जनपद मेरठ।

2– समस्त जिला अध्यक्ष/जिला सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दल जनपद, मेरठ।

3– समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद मेरठ।

4– प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनसामान्य की जानकारी हेतु जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त प्रेस नोट को जनपद के क्षेत्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

11/09/17

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

D:\PS RATIONLISATION SEPTEMBER 2017\PS RATIONALISATION LTR TO ERO.doc